

प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग

क्रमांक : 6(6)प्र.सु./अनु. 3/2004(2)

जयपुर, दिनांक 10/11/2004

आज्ञा

राज्य में वन विभाग अभिकरणों एवं साझा वन प्रबन्ध की गति प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर निम्नलिखित सदस्यों की एक स्थाई जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति गठित किये जो की महामहिम राज्यपाल महोदया की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1.	वन संरक्षक, प्रादेशिक	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3.	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
4.	जिला पशुपालन अधिकारी	सदस्य
5.	जिला भू-संरक्षण अधिकारी	सदस्य
6.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
7.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
8.	अधिशायी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
9.	अधिशायी अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
10.	जिले में कार्यरत समस्त उप वन संरक्षक/भू संरक्षण अधिकारी/ उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/अधिशायी अभियन्ता/क्षेत्र निदेशक	सदस्य सदस्य
11.	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि जो कि दो वर्षीय चक्र के आधार पर	सदस्य
12.	वन विभाग द्वारा जिले के जिले 20 सूत्री कार्यक्रम हेतु नामित उप वन संरक्षक (मॉडल ऑफिसर)	सदस्य सचिव

(अ) समिति की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार अवश्य होंगी।

(ब) समिति में नामित गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी तक का यात्रा भत्ता तथा राजस्थान यात्रा नियमों के अन्तर्गत "ब" श्रेणी का विराम भत्ता देय होगा। इसका भुगतान वन विभाग करेगा।

(स) समिति का प्रशासनिक विभाग वन विभाग होगा।

आज्ञा से

(आर.सी. अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग

Board-FDA

क्रमांक : 6(6)प्र.सु./अनु. 3/2004(3)

जयपुर, दिनांक 10/11/2004

आज्ञा

राज्य में वन विभाग अभिकरणों एवं साझा वन प्रबन्ध की गति प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर निम्नलिखित सदस्यों की एक स्थाई वन मण्डल स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदया की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | सम्बन्धित उप वन संरक्षक | अध्यक्ष |
| 2. | मण्डल में कार्यरत समस्त श्रेत्रीय का अधिकारी | सदस्य |
| 3. | अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 5 वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के अध्यक्षगण दो वर्षीय चक्र के आधार पर | सदस्य |
| 4. | अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 5 महिला उप समितियों की अध्यक्षा। ये बिन्दु संख्या 3 में नामित वन सुरक्षा समितियों के अतिरिक्त अन्य वन सुरक्षा समितियों में से नामित की जायेगी (दो वर्षीय चक्र के आधार पर) | सदस्य |
| 5. | अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन गैर सरकार संगठनों के सदस्य (दो वर्षीय चक्र के आधार पर) | सदस्य |
| 6. | सहायक वन संरक्षक | सदस्य सचिव |

(अ) समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार अवश्य होंगी।

(ब) समिति में नामित गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी तक का यात्रा भत्ता तथा राजस्थान यात्रा नियमों के अन्तर्गत 'ब' श्रेणी का विराम भत्ता देय होगा। इसका भुगतान वन विभाग करेगा।

(स) समिति का प्रशासनिक विभाग वन विभाग होगा।

आज्ञा से

(आर.सी. अग्रवाल)
शासन उप सचिव